कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सीधी, जिला सीधी (म0प्र0)

Ph. 07822-252235, Fax- 253035 E-mail- dfot.sdh@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/3760 सीधी, दिनांक/22/06/2021

प्रति,

महाप्रबंधक
म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकारण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई पुराना स्वराज भवन
सीधी म0प्र0

विषयः— सीधी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी रोड़ तक मार्ग के उन्नयन/डामरीकरण हेतु 1.68 हे. वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकारण, सीधी को उपयोग पर देने बावत्। ऑनलाइन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/51020/2020

संदर्भ :— 1. भारत सरकार भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO दिनांक 08.6.2021

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/1024/10–11/1894 दिनांक 15.06.2021

——000——

उपरोक्त विषयान्तर्गत सीधी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी रोड़ तक मार्ग के उन्नयन/डामरीकरण हेतु 1.68 हे. वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकारण, सीधी को उपयोग पर देने संबंधी ऑनलाइन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/51020/2020 में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भ क्र. 1 के द्वारा शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्नुसार वन मुख्यालय के उपरोक्त संदर्भ क्र. 2 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों में से जिन राशि शर्तो के पालन में राशि प्राप्त की जाना है उन शर्तो के अनुसार आवेदक संस्थान से आनलाइन कैम्पा मद में राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न है।) प्रकरण में प्रभावित वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	परिक्षेत्र	वनखंड का नाम	कक्ष क्र./खसरा क्र.	लम्बाई मी.	चौड़ाई मी.	क्षेत्रफल हे. में
1.	बहरी	संरक्षित वनखंड बारी	पी 901	1440	6.00	0.864
2.	बहरी	राजस्व वनभूमि ग्राम बिछरी	7, 8, 9, 10, 11, 78, 80	1360	6.00	0.816
			योग	2800		1.680

रोपित शर्त अनुसार यूजर एजेन्सी से जमा करायी जाने वाली राशियों का विवरण निम्नानुसार है :—

शर्त क्रमांक A-1. क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि जमा करने संबंध में —

क्र.	क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि	पर्यवेक्षण शुल्क	योग
1.	5695054	569505	6264560

1. क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रू. 5695054 जमा करने के संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा भारत सरकार की वेवसाइट परिवेश पोर्टल (http://parivesh.nic.in) में मांग पत्र को अपलोड किया जावेगा, तत्पश्चात् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के द्वारा OK किये जाने के उपरांत आवेदक संस्थान द्वारा राशि

परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा की जायेगी। राशि कैम्पा मद में जमा होने के उपरांत पुष्टिकरण हेतु प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करें।

2. पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रू. 569505 MP Treasury Online के माध्यम से मुख्य लेखा शीर्ष राजस्व मद 0406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी (800) अन्य प्राप्तियां (0229) विविध प्राप्तियां मद में जमा कर पुष्टिकरण हेतु प्रमाण पत्र यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा अथवा उक्त राशि की डी.डी. वनमण्डलाधिकारी सीधी के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करें।

शर्त क्रमांक–2 नेट प्रजेन्ट वैल्यू का भुगतान– प्रभावित वनभूमि 1.68 हे. हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 13.09.2008 के द्वारा निर्धारित दर से नेट प्रजेन्ट वैल्यू का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है –

क्र.	प्रभावित वनभूमि	वनो की ईको वल्यू श्रेणी	वनों का घनत्व	एन.पी.व्ही. दर प्रति हे.	राशि
1.	1.68 हे.	III ऊष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन	0.5 से 0.7	803000	1349040

यूजर एजेन्सी द्वारा उपरोक्त एन.पी.व्ही. की राशि वेवसाइट परिवेश पोर्टल (http://parivesh.nic.in) में मांग पत्र को अपलोड किया जावेगा, तत्पश्चात् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के द्वारा OK किये जाने के उपरांत राशि परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करें तथा पुष्टिकरण हेतु प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसके अलावा अन्य समस्त रोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन बचन पत्र एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें।

संलग्न–छायाप्रति।

वनमण्डल अधिकारी
सीधी (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/मा0चि0/3761

सीधी, दिनांक/22/06/2021

प्रतिलिपि–1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल उनके पत्र क्रमांक/एफ–5/1024/10–11/1894 दिनांक 15.06.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी
सीधी (म0प्र0)